न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू0डि0), डोईवाला, जिला देहरादून।
फौजदारी परिवाद सं0–863/2022
सी0जी0नं0–421/2022
किशोरी लाल बनाम ज्याति कोठारी

दिनांक–23.03.2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी उपस्थित। परिवादी द्वारा जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का0सं0 11क मय शपथ पत्र का0सं0 12क दिनांकित 13.03.2024 अन्तर्गत धारा 257 द0प्र0सं0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र का0सं0 11क मय शपथपत्र का0सं0 12क/1 व स्वप्रमाणित आधार कार्ड की प्रति का0सं0 12क/2 अन्तर्गत धारा 257 द0प्र0सं0 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि परिवादी का अभियुक्त के साथ समझौता हो गया है। कीमत के मदे कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है। परिवादी उक्त परिवाद को वापस लेना चाहता है तथा कोई भी अग्रिम कार्यवाही उक्त परिवाद में नहीं चाहता है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत अपने शपथपत्र का0सं0 12क/1 दिनांकित 13.03.2024 में अन्य कथनों के साथ कथन किया गया है कि, ***"शपथकर्ता का अभियुक्त के साथ समझौता हो गया है, कीमत के मदें कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है। शपथकर्ता उक्त परिवाद को वापस लेना चाहता है तथा कोई भी अग्रिम कार्यवाही उक्त परिवाद में नहीं चाहता है।"***

परिवादी के उक्त कथनों के अनुसार, चूंकि परिवादी उक्त वाद पर बल नहीं देना चाहता है तथा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है। परिवादी उक्त परिवाद को वापस लेना चाहता है। इस सम्बन्ध में खुले न्यायालय के समक्ष भी परिवादी ने अपनी स्वेच्छा से वाद वापस लिये जाने का कथन किया, जिसके प्रभाव के बारे में न्यायालय द्वारा उन्हें बताया गया। इस पर पुनः परिवादी ने वाद वापसी स्वेच्छा से लिये जाने की याचना करते हुए इसकी पुष्टि की। अतः उक्त के दृष्टिगत न्यायालय की राय में परिवादी को उसका परिवाद वापस किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **जिसके फलस्वरूप धारा 257 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत, अभियुक्त ज्योति कोठारी को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।**

पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मीनाक्षी दूबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/
सिविल जज (जू0डि0), डोईवाला।
देहरादून।